संख्याः1911 /ई-1/तेरह-2022-18/17टी.सी.

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 जुलाई, 2022

विषयः-आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप-पत्र के गठन एवं जांच अधिकारी द्वारा जांच निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आबकारी विभाग द्वारा मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन, पर्यवेक्षण तथा मादक वस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण कर मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा संस्थित कार्यवाहियों के अन्तर्गत नामित जॉच अधिकारी द्वारा जॉच की कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने, पर्यवेक्षणीय एवं निरीक्षणीय दायित्वों का निर्वहन न करने तथा उच्चादेशों का सम्यक अनुपालन न करने आदि के कारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों में अन्तर्गत उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाहियॉ संस्थित की जाती है तथा उक्त नियमावली के प्राविधानों के अधीन जॉच अधिकारी नामित करते हुए उनके माध्यम से आरोपित अधिकारियों व कर्मचारियों को आरोप पत्र तामील करायी जाती है एवं जांच अधिकारी के स्तर से सम्यक जांच, जिसमें आरोप पत्र व संलग्न साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण, प्रतिपरीक्षण व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पूर्ण कराया जाता है।

3. प्रायः यह देखा जाता है कि विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी को उपलब्ध कराये गये आरोप-पत्र में कई आरोपों को एक बिन्दु में समावेशित कर दिया जाता है और उनसे संबंधित सुस्पष्ट एवं सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य आदि संलग्न नहीं किये जाते हैं। आरोप-पत्र स्पष्ट न होने अथवा एक से अधिक बिन्दुओं को एक ही आरोप में समाहित कर लिये जाने तथा सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्य न होने के कारण जांच अधिकारी के समक्ष जांच कार्यवाही के अन्तर्गत आरोपों के संबंध में सम्यक विवेचना व स्पष्ट निष्कर्ष देने में कठिनाई आती है, जिसके कारण जांच अधिकारी

द्वारा प्रस्तुत की जा रही जांच रिपोर्ट में आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित की अभ्युक्ति की जा रही है, जो विधिक रूप से सही व उचित नहीं है। यद्पि विभागीय अनुशासनिक जांच, प्रशासनिक प्रकृति की अर्द्ध न्यायिक जांच की श्रेणी में आती है, तथापि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत आरोप या तो **'प्रमाणित'** होने या **'प्रमाणित नहीं'** होने के तथ्य उल्लिखित किया जा सकता है। इस प्रकार विभागीय अनुशासनिक जांच के अन्तर्गत अपचारी पर लगाये गये आरोपों की जांच के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या में "आंशिक रूप से प्रमाणित" किये जाने की अभ्युक्ति व निष्कर्ष नियमानुसार ग्राह्य नही है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 1460/ई-1/तेरह-2020-18/17 टी.सी., दिनॉक 14 अगस्त, 2020 द्वारा पूर्व में निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

4. उक्त के क्रम में अपचारी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप-पत्र गठित किये जाते समय तथा जांच निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाने में कार्मिक विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के साथ ही साथ निम्नलिखित बिन्दुओं का अवश्य संज्ञान लिया जाय:-

(1) अपचारी अधिकारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही में गठित आरोप-पत्र में आरोपित बिन्दुओं को पृथक-पृथक रूप से उल्लिखित करते हुए उनसे संबंधित सुस्पष्ट व सुसंगत अभिलेखीय एवं अन्य पठनीय साक्ष्य आरोप-पत्र के साथ संलग्न किये जायें।

(2) गठित आरोप-पत्र में आरोपित बिन्दु पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाय तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उन्हें संलग्न किया जाय।

(3) किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में नामित जॉच अधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार जॉच की कार्यवाही, आरोपों के समर्थन में संलग्न अभिलेखीय साक्ष्यों, तथ्यों व सुसंगत नियमों के आलोक में सम्यक परीक्षण करके नियम-7 में निहित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लगाये गये आरोपों के **'प्रमाणित'** होने अथवा **'प्रमाणित नहीं'** होने के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष एवं अभ्युक्ति सहित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। जांच आख्याओं में जांच अधिकारी के द्वारा किसी भी दशा में जॉच रिपोर्ट में अपचारी पर लगाये गये आरोपों के **"आंशिक रूप से सिद्ध"** होने की अभ्युक्ति अंकित न की जाय।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव